... है। अतः इत्तला होकर
पत्रावली आइन्दा 17/7/23 को पेश हो।

17/7/23

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील
उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने
दिनांक 5/7/23 को प्रस्तुत सहमति पत्र [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार विभाजन
स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित व
तहसील पालना करने का निर्देश

[signature]

सहायक कलक्टर, [illegible]

मार्फत
नजरिया नक्शा [illegible]
अन्तिम डिक्री जारी [illegible]

[signatures]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही
	दोनों पक्षों ने लिया। चूंकि [illegible] पत्र पर अपीलो द्वारा सहमति पेश कर [illegible] तथा। तलबाना समस्त सहमति के आधार नकल कम्प्यूटर अंकित कर न्यायालय रेकर्ड है देने करने का निर्णय किया है और चूंकि दोनों पक्षों ने और से प्रस्तुत सहमति आधार पर स्वीकृत किये जाकर आदेश सहमति पत्र दिनांक 6/7/23 तक सहमति पत्र के मुताबिक धारा 86 के स्वीकार किया जाता है। निर्णय [illegible] के मिलान जाकर [illegible] न्यायालय सूचना पत्र। इसी अनुसार [illegible] दिलाई पत्र जाती है। पत्रावली निर्णय हुआ होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) [illegible] कलक्टर, [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 91/2022

वादी

1. हुकमाराम पुत्र दमाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास, बेरीगांव, तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कृष्णराम पुत्र राजूराम
2. खेराज पुत्र गोरखा
3. नेनू पत्नी गोरखा फौत के कायम मुकाम :—
   3/1 खेराज पुत्र गोरखा
   3/2 मोहन पुत्र गोरखा
   3/3 किसना पुत्र गोरखा
   जाति सुथार निवासी तेजियावास, बेरीगांव, तहसील गुड़ामालानी
   (प्रतिवादी संख्या 3/1 खेराज पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 रेकर्ड पर है)
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. **श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता वादी**
2. **श्री नारायण कुमावत् अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 17.07.2023

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र बेरीगांव के राजस्व ग्राम तेजियावास में खेत खसरा नम्बर 139/80 रकबा 1.8454 हैक्टेयर की अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 प्रत्येक का 1/12—1/12 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का है, इसी हिस्सों के माफिक वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं, तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासी ढाणियां चारबाड़े पशुबाड़े व टांके बने हुए हैं। वादी व प्रतिवादी के मध्य वर्षों पूर्व किये गये बंटवाडा अनुसार वादी के 2/3 हिस्से की भूमि पर निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर बाढ भी की हुई है। विवादित भूमि मेघा हाईवे पर होने से प्रतिवादीगण की नीयत में खोट आ जाने से प्रतिवादीगण वादी की बाढ तोडकर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को हथियाना चाहते हैं। भूमि

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से हर वक्त हिस्सों व हकों को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने व विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक की भूमि पर अर्थात वादी की भूमि में कब्जा करने पर आमादा है। वर्तमान के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संयुक्त है व लट्ठा ट्रेस में तरमीन नहीं हुई है, जमाबन्दी अलग नही होने से व नक्शे में तरमीन संयुक्त होने से हर समय काश्त करते वक्त व सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिये परेशानी आती है, तथा खातेदारों के मध्य तनातनी होती रहती है, खातेदार सहमति से बंटवाडा करवाने के लिये सहमत नहीं हैं, इसलिये मौके पर हिस्सों के विवाद से बचने एवं वादी द्वारा अपना हिस्सा शेष प्रतिवादीगण से अलग घोषित करवाकर विधीवत बंटवाडा करवाना आवश्यक होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा, बंटावाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वादी के वाद पत्र का जबाव मय काउण्टर क्लेम पेश किया । बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी के वाद पत्र का जबाव मय काउण्टरक्लेम प्राप्त होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई तथा प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया गया। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य गवाह हुकमाराम, मदाराम, नारणाराम को उपस्थित कर साक्षी शपथ–पत्र पेश किये गये, वादीगण की साक्ष्य से जिरह हेतु पर्याप्त समय लिये जाने के उपरान्त भी वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं की गई।

तत्पश्चात वादी व वकील वादी द्वारा वकील प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से एक प्रार्थना पत्र मय नजरी नक्शा परिशिष्ठ–अ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ग्राम तेजियावास के खेत खसरा संख्या 139/80 में वादी का 2/3 हिस्सा है। प्रतिवादी पक्ष का 1/3 हिस्सा है। उक्त जमीन मेघा हाईवे पर स्थित है। पीछे की तरफ कटाण मार्ग है। वादी के हिस्सा की जमीन मेघा हाईवे पर 270 फीट खसरा संख्या 140/80, 80/2 के लगती हुई व प्रतिवादीगण के हिस्सा की जमीन मेघा हाईवे पर शेष रही भूमि जो खसरा संख्या 163/80 से लगती हुई जिसको

सहायक कलक्टर (SDO) गुड़ामालानी (बाड़मेर)

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

संलग्न नजरी नक्शा में पृथक–पृथक दर्शाया गया है। इसी अनुसार विभाजन किया जाता है तो वादी सहमत है। नजरी नक्शा को स्वीकार कर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ–अ को स्वीकार कर इसी अनुसार बंटवाडा की अंतिम डिकी जारी करने का निवेदन किया।

चूंकि वादी व प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में नजरी नक्शा परिशिष्ठ–अ प्रस्तुत कर माफिक नजरी नक्शा वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि विभाजित कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने की सहमति दी है। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से खुले हुए हैं, हिस्सों सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है, भूमि सयुंक्त खातेदारी में होने से विभक्त किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र माफिक सहमति स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र बेरीगांव के राजस्व ग्राम तेजियावास में खेत खसरा नम्बर 139/80 रकबा 1.8454 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा परिशिष्ठ–अ में दर्शित बरंग–"लाल" एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा परिशिष्ठ–अ में दर्शित बरंग–"हरा" अनुसार स्वीकार कर जमाबन्दी में अंकित रकबा की सीमा तक विभाजित कर राजस्व रेकर्ड संधारित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न सहमति पत्र दिनांक 04.07.2023 मय परिशिष्ठ–अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इसी अनुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O.) गुड़ामालानी

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी

व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादी

1. हुकमाराम पुत्र दमाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास, बेरीगांव, तहसील गुड़ामालानी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कृष्णराम पुत्र राजूराम
2. खेराज पुत्र गोरखा
3. नेनू पत्नी गोरखा फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 खेराज पुत्र गोरखा
   3/2 मोहन पुत्र गोरखा
   3/3 किसना पुत्र गोरखा
   जाति सुथार निवासी तेजियावास, बेरीगांव, तहसील गुड़ामालानी
   (प्रतिवादी संख्या 3/1 खेराज पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 रेकर्ड पर है)
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या : 91/2022 निर्णय दिनांक : 17/7/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता वादी व हाजरी श्री नारायण कुमावत मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी का वाद पत्र माफिक सहमति स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र बेरीगांव के राजस्व ग्राम तेजियावास में खेत खसरा नम्बर 139/80 रकबा 1.8454 हैक्टेयर की भूमि में वादी का 2/3 हिस्सा परिशिष्ठ–अ में दर्शित बरंग–''लाल'' एवं प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा परिशिष्ठ–अ में दर्शित बरंग–''हरा'' अनुसार स्वीकार कर जमाबन्दी में अंकित रकबा की सीमा तक विभाजित कर राजस्व रेकर्ड संधारित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमल दरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न सहमति पत्र दिनांक 04.07.2023 मय परिशिष्ठ–अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/7/23 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) गुड़ामालानी (बाड़मेर)

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी

दिनांक : 19/7/23

कमांक : 747

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुड़ामालानी